न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –6/2013 जिला सीकर

1. हेमाराम उर्फ हेमसिह पुत्र हणमानाराम, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 41, सीकर तहसील व जिला सीकर ।
2. रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री गोविन्दराम, जाति जाट, निवासी ग्रम कटराथल, तहसील व जिला सीकर ।
3. अर्जुन लाल पुत्र हणमानाराम, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 42, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान विद्याग्रम ट्रस्ट दादिया, तहसील व जिला सीकर जरिये सचिव मूलसिंह पुत्र हेम सिंह जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 42, सीकर तहसील व जिला सीकर ।
2. दौलत सिंह पुत्र उदय सिंह, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 42, सीकर तहसील व जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर 20.12.2012

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अखिलेश सैनी व श्री गजेन्द्र शर्मा

निर्णय

दिनांक – 30.5.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 20.12.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम दौलतपुरा, तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1225/74 रकबा 2.43 हैक्टेयर के खातेदार दौलत सिंह पुत्र उदाराम हिस्सा 1/2 , रामचन्द्र पुत्र गोविन्द राम हिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 1224/74 रकबा 2.44 हैक्टेयर के खातेदार हेमाराम पुत्र हणमानाराम, अर्जुन लाल पुत्र हणमानाराम है । रामचन्द्र सिंह, अर्जुन लाल, मूलसिंह, दौलत सिंह एवं हेमाराम उर्फ हेमसिंह द्वारा एक ट्रस्ट उद्घोषणा पत्र ''ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान विद्या ग्रम दादिया'' के नाम से तहरीर की जाकर उप पंजीयक सीकर से दिनांक 4.2.2006 को पंजीकृत कराया गया जिसके बिन्दू संख्या 13 में ट्रस्ट के प्रस्थापक न्यासीगणो द्वारा समर्पित जमीनों को ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान विद्या ग्रम दादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का उल्लेख किया गया है । उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष रामचन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष अर्जुन लाल, मंत्री मूल सिंह, ट्रस्टी दौलत सिंह को बनाया हुआ है । पटवारी हल्का कटराथल द्वारा उक्त पंजीकृत ट्रस्ट उद्घोषणा पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 549 उपरोक्त खातेदारों के स्थान पर ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान विद्या ग्रम दादिया के नाम भरा गया जिसे सरपंच ग्रम पंचायत दौलतपुरा द्वारा दिनांक 5.8.2008 को स्वीकार किया गया , जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई , जहॉ वकील दौलत सिंह की प्रारम्भिक आपत्तियों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2012 द्वारा अपील प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज की है , जिसके खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 20.12.2012 एवं नामांतरकरण संख्या 549 दिनांक 5.8.2008 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

वकील अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि दौलत सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का आवेदन किया था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 19.12.12 के आधार पर

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकरण वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के लिये दिनांक 20.12.12 नियत की थी , लेकिन दिनांक 20.12.12 को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पर निर्णय नहीं देकर अपील का ट्रस्ट में विवाद का होना मानते हुये ट्रस्टियों के विवाद का निपटारा करते हुये जिस ढंग से निर्णय पारित किया है वह सरासर अवैधानिक है । यदि ट्रस्ट डीड की अनुपालना ट्रस्टीयों द्वारा नहीं की जा रही है तो उसका एकमात्र निपटारा व्यवहार न्यायालय द्वारा ही हो सकता है । नामांतरकरण की अपील में ट्रस्ट संबंधी विवाद निर्णित नहीं किये जा सकते । दौलत सिंह उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रथम अपील में पक्षकार नहीं थे इसलिये उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आपत्तियों को निर्णय के लिये स्वीकार नहीं किया जा सकता । उक्त ट्रस्ट उद्घोषणा पत्र में अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1224/74 व 1225/74 को समर्पित करने का उल्लेख गलत रूप से किया जाकर नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान विद्या ग्राम दादिया के नाम ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रावधानों के व अपीलान्ट्स को बिना सुने तस्दीक किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि किसी की खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण विक्रय पत्र, दान पत्र, वसियत या न्यायालय की डिक्री के माध्यम से ही हो सकता है , लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना किसी कानूनी प्रावधान के उक्त ट्रस्ट उद्घोषणा पत्र के आधार पर ट्रस्ट के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि उक्त ट्रस्ट उद्घोषणा पत्र भूमि अन्तरण के लिये वैध दस्तावेज नहीं है , लेकिन फिर भी उक्त ट्रस्ट उद्घोषणा पत्र के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विधिविरूद्ध प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि दिनांक 4.2.2006 को ट्रस्ट का पंजीकरण करवाया था एवं ट्रस्ट के निष्पादनकर्तागण द्वारा उद्घोषणा कर रामचन्द्र, अर्जुन लाल, मूलसिंह, दौलत सिंह व हेमाराम ने आपसी सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया था जिसमें अध्यक्ष, रामचन्द्र, कोषाध्यक्ष, अर्जुन लाल, मंत्री मूल सिंह व ट्रस्टी दौलत सिंह को बनाया गया था तथा एक ट्रस्टी बाद में शामिल किये जाने तक ट्रस्ट की जिम्मेदारी रेस्पोंडेन्ट दौलत सिंह को दी गई थी । अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट ट्रस्ट के सचिव मूलसिंह द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति को हडपने की नियत से ट्रस्ट के नाम स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 549 दिनांक 5.8.2008 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी जिसमें सचिव मूल सिंह द्वारा कपटपूर्वक ट्रस्ट को क्षति पहुँचाने की नियत से अपीलान्ट से राजीनामा कर अपील स्वीकार करने में एतराज नहीं होने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । कानूनन ट्रस्ट की सम्पत्ति को ट्रस्ट के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नहीं लिया जा सकता । इस फर्जीवाडे के लिये अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के खिलाफ पुलिस थाना दादिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 230/2011 व पुलिस थाना कोतवाली जिला सीकर में रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 586/12 दर्ज करवाई गई थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत किये थे कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के द्वारा की गई जालसाजी साबित होती है । ऐसी कार्यवाही से संस्थान का एवं संस्थान में पढने वाले बच्चों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पडेगा एवं आमजन में संस्थान के प्रति विश्वास समाप्त हो जावेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजात एवं की गई आपत्ति के आधार पर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट्स की अपील खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । प्रश्नगत नामांतरकरण ट्रस्ट के नाम न होकर ज्ञानोदय शिक्षा संस्थान के नाम से है । ट्रस्ट के पैरा 13 में अंकित किया हुआ है कि इस जमीन को ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान के नाम से कर दिया जावे । ट्रस्ट के सचिव के नाम विवादित भूमि न तो थी और न ही है । ट्रस्ट के मद संख्या 9 में लिखा है कि ट्रस्ट का काम तो संस्थान को ओर जमीन खरीद कर देना है । संस्थान चन्दा, दान , ऋण व शुल्क से बनी है । विवादित भूमि की ऑडिट 2002-2007 तक अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट ने कराई है और भूमि को सी.बी.एस.ई. बोर्ड दिल्ली को समर्पित किया है । संस्थान के सचिव मूलसिंह ने खातेदारी के दस्तावेजात वहाँ भेजे हैं तथा संस्थान ने बैंक से ऋण लिया था जिसे सचिव मूलसिंह को चुकाना था, लेकिन नहीं चुकाया और स्वयं भूमि नीलाम कराने में सम्मिलत हुआ है । कैपिटल अकाउन्ट शीट भी संस्थान की हुई है जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट के खिलाफ 36 लाख रूपये बाकी निकाल रखे हैं । सभी तथ्यो को छिपाते हुये अपील

पेश की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट द्वारा धोखाधडी किया जाना मानते हुये अपीलान्ट की अपील प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया । प्रकरण में रामचन्द्र सिंह, अर्जुन लाल, मूलसिंह, दौलत सिंह एवं हेमाराम उर्फ हेमसिंह द्वारा एक ट्रस्ट उद्घोषणा पत्र ''ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान विद्या ग्रम दादिया'' के नाम से तहरीर की जाकर उप पंजीयक सीकर से दिनांक 4.2.2006 को पंजीकृत कराया गया जिसके बिन्दू संख्या 13 में ट्रस्ट के प्रस्थापक न्यासीगणो द्वारा समर्पित जमीनों को ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान विद्या ग्रम दादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का उल्लेख किया गया है । उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष रामचन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष अर्जुन लाल, मंत्री मूल सिंह, ट्रस्टी दौलत सिंह को बनाया हुआ है । पटवारी हल्का कटराथल द्वारा उक्त पंजीकृत ट्रस्ट उद्घोषणा पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 549 उपरोक्त खातेदारों के स्थान पर ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान विद्या ग्रम दादिया के नाम भरा गया जिसे सरपंच ग्रम पंचायत दौलतपुरा द्वारा दिनांक 5.8.2008 को स्वीकार किया गया , जिसके खिलाफ अपीलान्ट्स की प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने दौलत सिंह के अधिवक्ता की प्रारम्भिक आपत्तियों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2012 द्वारा प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज की है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में पक्षकारों द्वारा एक ट्रस्ट ''ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान विद्या ग्रम दादिया'' के नाम से बनाकर ट्रस्ट के नाम नामांतरकरण कराना तथा संस्था द्वारा बैंक से ऋण लेना एवं अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के खिलाफ पुलिस थाना दादिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 230/2011 व पुलिस थाना कोतवाली जिला सीकर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 586/12 दर्ज करवाई जाना बताया गया है । चूंकि पक्षकारों के मध्य उपरोक्त विवादकों का निर्धारण नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में नहीं हो सकता । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2012 द्वारा अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स की धोखाधडी मानते हुये अपीलान्ट की अपील प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज की है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 30.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर